


26.08.25 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी अनुपस्थित।

पार्थी का मूल वाद तलबी के अभाव में इसी स्तर पर खादिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना एक औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खादिज किया जाता है। पत्रावली बाद तुरन्त तहकील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुनीलकुमार चौधान)  
R.A.S.